भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3944
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

3944. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के संबंध में अनुमोदित परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास कार्यकलापों, स्थापित पुनर्चक्रण सुविधाओं, आवंटित और व्यय की गई निधियों और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रयुक्त बैटरी, ई-अपशिष्ट, सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य द्वितीयक स्त्रोतों से लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्वों की प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए उद्योगों, स्टार्ट-अप और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी और नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने, आयात पर निर्भरता को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (ख): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत, ई-अपशिष्ट, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य महत्वपूर्ण खनिज-युक्त स्क्रैप जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 01.04.2026 थी। प्राप्त 71 आवेदनों में से, 270 केटीपीए की

लक्ष्य क्षमता की तुलना में लगभग 850 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) की प्रतिभूत क्षमता और 5,200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिभूत निवेश वाली, 58 पुनर्चक्रण इकाइयों को पात्र घोषित किया गया। इस स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण खनिजों के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने से संबंधित है। इसके अलावा, ओवरबर्डन, टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश दिनांक 14.11.2025 को जारी किए गए थे, और कई फीडस्टॉक से आरईई की पुनर्प्राप्ति के लिए नॉन-फेरस मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 'नई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और मौजूदा खानों के ओवरबर्डन, डंप और टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए नीति, 2025' तैयार की है, जिसका उद्देश्य नई खोज परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा खानों से महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की व्यवस्थित पहचान, आकलन और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(ग) से (घ): लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के माध्यम से घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने पुनर्चक्रण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और एस एंड टी-प्रिज्म (स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) घटकों के तहत पुनर्चक्रण सहित महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण पर 47 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को 19.8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 से, एमएसएमई की 4 परियोजनाओं और स्टार्ट-अप्स को एस एंड टी-प्रिज्म घटक के तहत 4.62 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है, ताकि प्रयुक्त बैटरियों, ई-अपशिष्ट, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य द्वितीयक स्रोतों से लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्वों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण किया जा सके। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिज-युक्त अपशिष्ट और स्क्रैप की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए, लिथियम-आयन बैटरी के अपशिष्ट और स्क्रैप, और कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट और स्क्रैप पर बुनियादी सीमा शुल्क को केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत समाप्त कर दिया गया था।
